

**श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उपमुख्य (वाणिज्य—कर) मंत्री के साथ दिनांक  
17 दिसम्बर 2021 को आयोजित बैठक में जीएसटी से संबंधित बिहार चैम्बर  
ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दुएं**

**जीएसटी से संबंधित**

**1 GST की धारा 61 के तहत रिटर्न की जाँच**

ऐसा देखने में आ रहा है कि कर अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत जाँच के क्रम में बिना किसी विसंगति को निर्दिष्ट किए हुए करदाता को नोटिस जारी की जा रही है और एक प्रकार से कर निर्धारण की प्रक्रिया के अनुरूप ही पूरे बही खाता एवं अन्य जानकारियों की मांग की जा रही है और अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा विशेषकर राज्य कर विभाग द्वारा अधिक देखने में आ रहा है। हमारा सरकार से सुझाव होगा कि बिना विसंगति को निर्दिष्ट किए हुए इस तरह की नोटिस जारी नहीं की जानी चाहिए और उक्त विसंगति के परिपेक्ष्य में ही जाँच की जानी चाहिए।

**2 GST Tran-1 के दावे का अनुमोदन/निष्पादन**

1 जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के समय सरकार द्वारा पूर्व की कर व्यवस्था के अन्तर्गत 1 जुलाई, 2017 के दिन उपलब्ध स्टॉक पर किए गए कर भुगतान के इनपुट क्रेडिट के दावे का स्वीकार करने का प्रावधान किया गया था।

इस हेतु एक्साइज एवं सर्विस टैक्स से संबंधित दावे को सीजीएसटी के अन्तर्गत एवं वैट तथा इन्ट्री टैक्स के दावे को एसजीएसटी के अन्तर्गत GST-Tran-1 के माध्यम से दावे करने की व्यवस्था की गई थी।

ऐसा ज्ञान में आया है कि जैसे करदाता जिनका क्षेत्राधिकार प्राधिकर राज्य कर विभाग के अन्तर्गत आबंटित हुआ उनके GST-Tran-1 के माध्यम से एसजीएसटी के दावे को राज्य कर विभाग द्वारा अनुमोदन हेतु क्रेन्दीय कर विभाग के पास भेजा जाता है और वहाँ से दावे को ससमय अनुमोदन करके नहीं लौटाया जाता है जिसकी वजह से करदाता को परेशानी उठानी पड़ती है। इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाने की जरूरत है।

**3 जीएसटी की धारा 16 (4)**

जीएसटी की धारा 16 (4) के अन्तर्गत करदाता किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर माह की रिटर्न फाईल करने की नियत तिथि तक ही प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में हमारा शुरू से ही सरकार को सुझाव रहा है कि उक्त धारा में बदलाव करने की जरूरत है।

ऐसा देखा जाता है कि वार्षिक खाता बही को अंतिम रूप से तैयार करने के क्रम में कई बार इनपुट संबंधित भूल भी सामने आती है और उसे सुधारने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। उक्त धारा में बदलाव करके इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने की समय सीमा को वार्षिक रिटर्न फाईल करने के पूर्व तक कर दिया जाना निहायत ही जरूरी है।

विदित हो कि उक्त प्रावधान की वजह से ऐसे करदाता जिन्होंने विलंब से रिटर्न फाईल की थी उनके इनपुट क्रेडिट के दावे को अस्वीकार कर दिया गया और करदाता को कर भुगतान के लिए मांग पत्र जारी कर दिया गया और उसके बैंक खाते को attach करके बैंक से राशि भी ले ली गयी। इस तरह के कई मामले न्यायालय में भी लंबित हैं। अतः धारा 16 (4) को तुरंत बदलना बहुत ही जरूरी है।

#### 4 **नियम 36 (4)**

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का आधार है और जीएसटी की पूरी अवधारणा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आधारित है और जब इसी से संबंधित प्रावधानों को गैर व्यवहारिक रूप दे दिया जाए तो निसंदेह परिणाम अच्छा नहीं होंगे।

आज के दिन देश का अधिकांश निम्न एवं मध्यम स्तर का करदाता जीएसटी को एक काला कानून के रूप में देखने लगा है और उसे हर समय भय सताते रहता है कि कहीं उससे भूल ना हो जाए। अपनी आर्थिक गतिविधियों पर कम ध्यान दे पाता है और वो नियमों को ही देखने में लगा रहता है कि कहीं किसी तरह की चूक ना हो जाये।

जीएसटी के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोविजनल इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था की गयी थी और साथ ही साथ किसी भी कारण से यदि किसी स्प्लायर्स द्वारा रिटर्न फाईल नहीं किए जाने पर, यानि बीजक अपलोड नहीं किए जाने पर, प्राप्तकर्ता अपनी तरफ से उक्त बीजक को अपने द्वारा फाईल की जाने वाली GST2 में अपलोड कर सकता था लेकिन प्रारंभिक तकनीकी खामियों की वजह से GSTR 1, GSTR 2 एवं GSTR 3 के मुल संकल्पना को ही तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसे कि बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया।

इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए GST की धारा 16 में उल्लेखित शर्तों की अनदेखी करके सरकार ने अक्टूबर 2019 में प्रोविजनल इनपुट प्राप्त करने पर पाबंदी लगा दी और इसे पोर्टल पर अपलोड किए गए बीजक के आधार पर उपलब्ध इनपुट की अधिकतम 20% कर दिया गया, जनवरी 2020 में इसे घटाकर 10% और जनवरी 2021 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया है जिसकी वजह से करदाता को इनपुट क्रेडिट रहने पर भी अब राशि नगद जमा करनी होती है।

इससे एक कदम और आगे बढ़कर सरकार ने 2021 के वार्षिक बजट में GST की धारा 16 (2) में एक नए प्रावधान (a) (a) को जोड़कर सप्लायर्स द्वारा अपने बीजक को अपलोड करने के उपरांत ही खरीददार को इनपुट क्रेडिट उपलब्ध होने की शर्त लगा दी है जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। यद्यपि इसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है परन्तु ऐसा करने पर भारी समस्या पैदा हो जायेगी। सप्लायर्स की गलती का दण्ड खरीददार को नहीं देना चाहिए। सप्लायर्स को पकड़ना सरकार का काम है ।

अतः नियम 36 (4) को अविलंब ही हटाना चाहिए। क्योंकि धीरे-धीरे करदाताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 45वीं जीएसटी काउन्सिल की बैठक में भी सरकार ने नियम 36 (4) को धारा 16 (2) (a) (a) में परिपेक्ष्य में बदलने की चर्चा की है जो कि सही कदम नहीं होगा।

हमारा मानना है कि सरकार को करदाता द्वारा प्राप्त इन्पुट क्रेडिट एवं उसके सप्लायर्स द्वारा अपलोड किए गए बीजक एवं डेविट नोट के आधार पर उपलब्ध इनपुट की तुलना अवश्य करनी चाहिए एवं यदि 25% - 30% से अधिक अंतर आने पर करदाता से स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए लेकिन इनपुट प्राप्त करने की शर्त में धारा 16 (2) (a) (a) के द्वारा किए गए बदलाव को नहीं लागू किया जाना चाहिए।

ऐसा संभव है कि कोई सप्लायर्स किन्ही विशेष कारणों से समय पर GSTR1 फाईल नहीं कर पाता हो तो उसके खरीददार को इन्पुट क्रेडिट से वंचित करना कतई उचित नहीं है। विदित हो कि विलंब होने पर विलंब शुल्क एवं ब्याज दोनों देय होता है और जब सप्लायर्स द्वारा सरकार उसे प्राप्त करती है, खरीददार को उसका दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।

#### 5 जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन

सरकार को अविलम्ब GST Tribunal का गठन करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से करदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। हरेक करदाता उच्च न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है।

- 6 वर्तमान नियमों के तहत सामान्य श्रेणी के करदाताओं को दो तरह की रिटर्नस GSTR 1 एवं GSTR 3B फाईल करनी होती है। 1 जनवरी 2021 से QRMP योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ तक की कुल वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को मासिक रिटर्न के बजाय त्रैमासिक रिटर्न फाईल करने की सुविधा दी है। लेकिन नई स्कीम QRMP के तहत करदाताओं को अपनी B2B सप्लायर्स का विवरण IFF के माध्यम से अपलोड करना होता है और साथ ही साथ मासिक भुगतान भी करना होता है। परिणामस्वरूप करदाताओं को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस योजना को सच्चे अर्थ में मासिक बनाने की जरूरत है।

दूसरी बात, सरकार ने QRMP योजना में शामिल होने हेतु कुछ शर्तें लगा दी हैं जिसके तहत पहली बार किसी भी त्रैमास के लिए त्रैमासिक फाईलिंग का विकल्प चुनने हेतु उसके पिछले त्रैमास के दूसरे महीने के पूर्व तक की सभी रिटर्न फाईल हो जानी चाहिए और तभी उक्त त्रैमास के लिए त्रैमासिक फाईलिंग का विकल्प चुना जा सकता है।

ऐसा होने की वजह से विलंब से रिटर्न फाईल करने वाले करदाता उस सुविधा का लाभ जनवरी महीने से नहीं उठा सकते हैं और उन्हें जनवरी 2021 से बाद के महीनों के लिए भी मासिक फाईलिंग करनी होगी एवं मासिक फाईलिंग के अनुसार विलंब शुल्क का भुगतान भी करना होगा। पिछली योजना के अनुरूप इस योजना में भी किसी त्रैमास के फाईलिंग के पूर्व में विकल्प चुनने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिन करदाताओं का पूर्व में 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर था और उन्होंने त्रैमासिक विकल्प चुन रखा था उन्हें तो स्वतः त्रैमासिक फाईलिंग के लिए ही शिफ्ट करना चाहिए।

#### 7 E-Way Bill

- A. 1 जनवरी 2021 से लागू नियम 138(10) के तहत E-way bill की वैधता की समय सीमा प्रत्येक 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन कर दी गई है जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। इसे पूर्व की भांति प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 1 दिन कर देना चाहिए।

- B. सरकार ने E-way bill को ब्लॉक करने का प्रावधान कर दिया है जिसके तहत लगातार दो माह का रिटर्न फाइल नहीं होने पर E-way bill ब्लॉक कर दिया जाता है। उक्त 2 महीने का समय काफी कम है। इसे सामान्य श्रेणी के लिए 6 महीने की रिटर्न एंड कम्पोजिशन श्रेणी के लिए 2 त्रैमासिक की रिटर्न फाइल नहीं होने पर लागू किया जाना चाहिए।
- C. ऐसा देखने में आ रहा है कि सप्लायर्स द्वारा E-Way Bill का Part A भरकर देने के पश्चात् ट्रांसपोर्टर द्वारा भरा जाने वाला Part B नहीं भरा जाता है और ऐसी परिस्थिति में भी मार्ग में जाँच के दौरान उस माल पर अर्थदण्ड लगाया जाता है जो कि सप्लायर्स अथवा खरीददार को भुगतान करना होता है।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि जीएसटी नियमों में Part B को भरने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से ट्रांसपोर्टर पर दी जानी चाहिए और उक्त कमियों के लिए ट्रांसपोर्टर पर दण्ड लगाया जाना चाहिए।

## 8 टेक्सटाइल्स एवं फुटवेयर पर जीएसटी

सरकार ने 1st जनवरी, 2022 से टेक्सटाइल्स एवं फुटवेयर पर जीएसटी की वर्तमान दोहरी दर संरचना को बदलकर 12% की एकल एक समान दर करने का निर्णय लिया है सरकार के इस निर्णय का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कपड़ा एवं जूता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है एवं कम कीमत के उत्पाद समाज के निम्न माध्यम स्तर के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। GST की वृद्धि करने से ये उत्पाद भी मंहगे हो जाएंगे और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो सकते हैं। सरकार को समाज के उस वर्ग का ख्याल रखते हुए वृद्धि के निर्णय को वापस लेना चाहिए।

## 9 भुगतान

- A वर्तमान प्रावधानों के अनुसार जब तक नगद खाते से राशि का सामजस्य नहीं किया जाता है तब तक भुगतान नहीं माना जाता है जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। नगद खाते में भुगतान की गई तारीख को ही भुगतान की तारीख माना जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे करदाता रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है लेकिन ब्याज से बचने के लिए भुगतान कर देना चाहता है।
- B जीएसटी के प्रावधानों के अन्तर्गत डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा दी गई है लेकिन अभी तक उक्त सुविधा प्रदान नहीं की गई है जिसे अविलंब उपलब्ध कराना चाहिए। आज जबकि UPI बहुत प्रचलन में आ रहा है। भुगतान के लिए इसकी सुविधा करानी चाहिए।

## 10 जीएसटीएन पोर्टल

यह सर्वविदित है कि जीएसटी कार्यान्वयन के शुरूआती समय में जीएसटीएन पोर्टल की कम स्पीड, खराब कार्यक्षमता एवं तकनीकी कारणों की वजह से काफी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी।

पोर्टल की वजह से जीएसटी जैसी सुन्दर कर व्यवस्था की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया था। लेकिन सब के अथव प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ समय से पोर्टल की कार्यशीलता में काफी सुधार हुआ है जो कि बहुत ही सुखद एवं सराहनीय है।

लेकिन अभी भी वांछित स्तर तक सुधार नहीं हो पाया है जिसपर और ध्यान देने की जरूरत है।

11 निबंधन

A जीएसटी के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधन की प्रक्रिया सरल एवं व्यावहारिक रही लेकिन 1 जनवरी 2021 से नियमों में किए गए बदलाव के पश्चात निबंधन में काफी समस्याएँ आने लग गई हैं। विभागीय पदाधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के भी आपत्ति कर दी जाती है और आवेदन को लटका दिया जाता है। कार्यस्थल के परिसर से संबंधित कागजात की जाँच के क्रम में गैर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और जिसकी वजह से निबंधन नहीं मिल पाता है।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि कार्यस्थल परिसर के पते के साक्ष्य हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में अपनाई जा रही प्रक्रिया की तर्ज पर उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और चूंकि निबंधन हेतु आधार सत्यापन को आवश्यक कर दिया गया है, आवश्यकता होने पर आवेदक को खोजना/पकड़ना आसान हो गया है। अतः निबंधन में सरल एवं सुगम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

B जीएसटी के नियम 21A में बदलाव करके पदाधिकारियों को काफी अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं और छोटे-छोटे कारणों के रहने पर भी करदाता का निबंधन निलंबित करने का अधिकार देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

धारा 29 के तहत कर अधिकारी बिना सुनवाई का मौका दिए हुए भी करदाता का निबंधन निलंबित कर सकता है जो कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता।

12 अमनेस्टी स्कीम के तहत रिटर्न फाईल करने पर इन्पुट क्रेडिट के दावों को स्वीकार करना

सरकार ने अभी तक तीन बार GST में अमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन तीनों बार विलंब शुल्क में माफी की गयी लेकिन धारा 16 (4) के तहत इन्पुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया जिसकी वजह से करदाताओं में संशय की स्थिति है। सरकार को अविलंब अमनेस्टी स्कीम के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

13 नियम 86 (B)

1 जनवरी 2021 से ही सरकार ने एक नया नियम 86B लागू कर दिया है जिसके तहत करदाता को अब कम से कम 1% देय कर का भुगतान नगद खाते से करना होगा। यद्यपि इसमें कुछ परिस्थितियों में छूट भी दी गयी है लेकिन इस तरह की शर्तें लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे हटा देना चाहिए।

14 अचल संपत्ति के निर्माण पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट

GST की धारा 17 (5) के अन्तर्गत अचल संपत्ति के निर्माण से जुड़े इन्पुट क्रेडिट के दावे को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उद्योग अथवा व्यापार में अचल संपत्ति का निर्माण एक सामान्य घटना है। अचल संपत्ति का उपयोग उद्योग एवं व्यापार के परिसर के साथ में किया जाता है। साथ ही साथ अचल संपत्ति को व्यापारिक उपयोग के लिए किराये पर भी लगाया जाता है जिसपर जीएसटी देय होता है। अतः सरकार को अचल संपत्ति के निर्माण से जुड़े इन्पुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार करना चाहिए।

15 **B2B के बजाय B2C के रूप में फाईल की गयी भूल को GSTR 1 में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराना**

ऐसा देखने में सामने आता है कि सप्लायर्स द्वारा किसी आपूर्ति का विवरण अपनी GSTR1 में B2B के बजाय B2C के रूप में फाईल कर दिया जाता है और फिर आपूर्तिकर्ता को अपनी भूल को सुधार करने में दिक्कत होती है। हमारा सुझाव होगा कि GSTR1 में एक ब्लॉक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपूर्तिकर्ता अपने उक्त B2B आपूर्तिकर्ता का विवरण अपलोड कर सके और साथ में उस महीने का उल्लेख करे जिस महीने में आपूर्तिकर्ता को B2C रूप में दिखाया गया है। इसका करदेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भूल का भी सुधार हो जायेगा।

16 **GSTR 3B**

GSTR 3B में नेगेटिव रकम स्वीकार नहीं होता है जबकि कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि करदाताओं के द्वारा पूर्व में की गयी आपूर्ति वापस आ गई हो जो कि उक्त महीने की आपूर्ति से अधिक हो और परिणामस्वरूप उसका नेट आपूर्ति नेगेटिव हो। इस हेतु आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

17 **GSTR 1 के बिलम्ब शुल्क की माफी**

सरकार ने अपनी तीनों बार की लागू एमनेस्टी योजनाओं में GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क को तो माफ कर दिया/कम कर दिया लेकिन GSTR-1 के लिए कोई भी चर्चा नहीं की गई। चूंकि GSTR 1 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क का भुगतान रिटर्न फाइल करने के समय नहीं करना होता है, करदाता को उसका अहसास तत्काल तो नहीं होता है लेकिन बाद में कर निर्धारण/स्कूटनी के समय पदाधिकारी द्वारा बिलम्ब शुल्क की मांग की जा सकती है। अतः सरकार को सभी तरह के करदाताओं के लिए GSTR 1 पर लागू बिलम्ब शुल्क को सितम्बर 2021 तक के लिए माफ कर देना चाहिए।

18 **(एमनेस्टी स्कीम से अलग) पूर्व में बिलम्ब शुल्क के भुगतान के साथ रिटर्न फाइल करनेवाले करदाताओं को बिलम्ब शुल्क का रिफंड प्रदान करना**

सरकार ने GSTR 3B रिटर्न के बिलम्ब फाइल करने पर लागू बिलम्ब शुल्क की माफी हेतु अभी तक तीन बार एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन हरेक बार उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया गया जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और वैसे करदाता जिन्होंने योजना का इंतजार किए बिना बिलम्ब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर दी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है।

पिछले कई समय से इस संबंध में हम ध्यान आकर्षित करते रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार को इस योजना का लाभ सभी को देना चाहिए अन्यथा इसका गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है। सरकार को बिलम्ब शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का सभी करदाताओं को रिफंड कर देना चाहिए। इस पर गंभीरता से यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

19 **रिटर्न संशोधन**

GST के प्रावधानों के तहत फाइल की गई रिटर्न में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारा कहना है कि भूल होना स्वभाविक है और भूल सुधार का अवसर नहीं मिलना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की भूल

को सुधारा जा सके । इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 12 रिटर्न के अतिरिक्त एक अन्य 13वीं रिटर्न GSTR 1 और GSTR 3B का समावेश किया जाए जिसके द्वारा करदाता उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कथित भूल को सुधार सके । इस अतिरिक्त रिटर्न को वार्षिक रिटर्न से पूर्व में कभी भी एक बार फाइल किया जा सके।

20 **GSTR 10**

जिन करदाताओं ने अपना निबंधन सरेंडर कर दिया है लेकिन भूलवश GSTR 10 फाइल करना भूल गए उन्हें GSTR-10 भी 200 रूपया प्रतिदिन के बिलम्ब शुल्क के साथ फाइल करना पड़ता है । ऐसे अधिकांशतः करदाताओं की ना तो कोई करदेयता शेष रहती है, ना कोई स्टॉक शेष रहता है और वैसी परिस्थिति में बिलम्ब शुल्क का भुगतान बहुत ही कष्टप्रद होता है । GSTR 10 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क को पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए ।

21 **HSN Code**

पूर्व में 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले को HSN Code की बाध्यता से मुक्त रखा गया था जबकि अप्रैल 2021 से लागू नियम में उक्त छूट हटा दी गई है । HSN Code की बाध्यता 10 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले लोगों पर लागू की जानी चाहिए।

22 **आपूर्ति के पश्चात दिए गए डिस्काउंट पर GST की देयता**

इस संदर्भ में भी एक विस्तृत गाइडलाइन दी जानी चाहिए क्योंकि लोगों में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं रहने की वजह से विभाग के साथ मतभेद होने की संभावना रहती है ।

**मूल्यवर्धित कर प्रणाली**

i **“एक मुश्त योजना”**

मूल्यवर्धित कर प्रणाली से संबंधित पुराने लंबित मामलों के निपटारे हेतु “एक मुश्त योजना” के हमारे सुझाव पर विचार करते हुए सरकार दो बार “एक मुश्त योजना” लेकर आई और योजना के प्रावधानों के अनुसार समयावधि का विस्तार भी किया गया जिसके लिए हम सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और सरकार को अपना आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं।

लेकिन इतनी सुविधा के बावजूद भी कोरोना की वजह से बहुत सारे करदाता योजना का लाभ नहीं उठा सके। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं । इन परिस्थितियों में हमारा सरकार से आग्रह होगा कि एक बार अंतिम रूप से इस योजना को पुनः लाने पर विचार किया जाये और इस योजना की घोषणा से पूर्व के सभी विवादित मामलों को शामिल किया जाये ताकि वेट कार्यकाल के सभी मामले समाप्त हो सके।

ii. **फार्म ‘सी/एफ’ का रीकरण /सुधार**

वेट प्रणाली में अन्तर्राज्यीय बिक्री के अन्तर्गत खरीददार को अपने बिक्रेता के पक्ष में फार्म ‘सी/एफ’ जारी करना होता था। मानवीय भूल होना स्वाभाविक है एवं ऐसे कई मामले हैं जिनमें करदाताओं से फार्म ‘सी/एफ’ जारी करने में भूल हो गयी थी । ऐसे मामलों में मुख्यतः दो कारणों से भूल हुई थी जिनमें या तो फार्म का ब्योरा भरने में करदाताओं से भूल हुई अथवा पोर्टल की तकनीकी कारणों की वजह से भूल हुई थी ।

विगत कई समय से हमारा सरकार से अनुरोध रहा है कि पुराने गलत जारी हुए फार्म 'सी/एफ' में हुई भूल सुधारने के लिए एक मौका अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि राज्य में अवस्थित व्यापारी अपने बिक्रेता को सही फार्म 'सी/एफ' जारी कर सकें और अपने बिक्रेता राज्य के कर विभाग द्वारा फार्म 'सी/एफ' नहीं जमा करने की वजह से लगाए जाने वाले कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड से बच सकें। कृपया इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

iii वैट/जीएसटी प्रतिपूर्ति

वैट के कार्यकाल को समाप्त हुए 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कई उद्यमियों का वैट प्रतिपूर्ति का दावा बाकी है जिसे तुरंत निपटाना चाहिए।

साथ ही साथ जीएसटी काल में जीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे को अविलंब निपटारे हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाये ताकि उद्यमियों को प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हो सके और उनके समक्ष पूंजी की कमी उत्पन्न ना हो ।

iv वैट अन्तर्गत औपचारिकताओं का निष्पादन

हमारा निरंतर अनुरोध रहा है कि वैट से संबंधित स्क्रूटनी/कर निर्धारण/ पुर्नकर निर्धारण को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए ताकि करदाताओं के वाण्ड/सिक्युरिटी को यथाशीघ्र लौटाया जा सके।

अन्य मामले

FAR एवं बिल्डिंग की उँचाई सीमा का पूर्ननिर्धारण

आज के समय जबकि जमीन की उपलब्धता सीमित हो रही है और साथ ही कीमत भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, सरकार को वर्तमान बिल्डिंग ऐक्ट में बदलाव लाने की नितान्त आवश्यकता है ।

ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी भी अपार्टमेंट के निर्माण में भूखण्ड के अधिकांश क्षेत्र में निर्माण कर दिया जाता है क्योंकि बिल्डर के समक्ष भवन की उँचाई की सीमा की भी बाध्यता रहती है । इस कारण अपार्टमेंट परिसर में खाली भूखण्ड ना के बराबर रह जाता है । ऐसा करना बिल्डर के समक्ष मजबूरी होती है क्योंकि अन्यथा उन्हें नुकसान होता है ।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि अपार्टमेंट के निर्माण के लिए उँचाई की सीमा बाध्यता को बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही साथ FAR में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि बिल्डर को नुकसान ना उठाना पड़े एवं अच्छे स्तर के अपार्टमेंट का निर्माण सम्भव हो सके ।

\*\*\*\*\*

दिनांक – 17-12-2021

स्थान – पटना